FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप (फलोदी)

कंवर पत्नी अचलसिंह बनाम तहसीलदार बाप वगैरा

ुकदमा 131,136 आर.एल.आर मु.नं. 281/2023 सन्......................

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राज.भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सी.पी.सी का पेश कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस हेतु निवदेन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम दीपनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 191/1 व 191/25 की भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील प्रार्थी द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वत ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी रजि. एडि से करवाकर रसीदें तीन दिवस में पेश करें। पत्रावली दिनांक 20/11/2023....को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) 20/11/23 आज श्रीमान ... अनुपस्थित ... पेशी ... पत्रावली तारीख 19/01/24 को पेश हो [signature] 19/01/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वह अपने प्रार्थना-पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र विड्रो खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना-पत्र बतौर विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नतीजा दर्ज रजिस्टर हो। दाखिल दफ्तर हो। [signature] (मंगीलाल, RAS)	प्रार्थना-पत्र वापस लेता हूं [signature] 19/1/24

Signature Not Ve...
Digitally signed by M...
Date: 2024.02.07 14...
Reason: SelfAttested